न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 19/2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 जगदीश उम्र 51 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल जाति जाट निवासी जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भगवानाराम उम्र 68 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल।
2 किशनलाल उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री हीरालाल जाति जाट निवासीगण जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर।
3 रोशनलाल तत्कालीन पटवारी ग्राम पंचायत भादवासी तहसील व जिला सीकर।
4 मंगलचन्द सैनी तत्कालीन तहसील व जिला सीकर।
5 राजेन्द्र नेहरा तत्कालीन पटवारी ग्राम पंचायत भादवासी तहसील व जिला सीकर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6 जगदीश प्रसाद पुत्र ओमाराम निवासी विनायक कॉलेज के पास नवलगढ़ रोड़ सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

आवेदन कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट (आदेश 39 नियम 2(क)

उपस्थित

1. श्री बनवारी लाल शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथ मल जाखड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–31.10.2018

यह आवेदन इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 159/2013 में दिनांक 03.01.2014 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की अवमानना होने पर रेस्पोडेंट भगवाना, किशना, रोशनलाल पटवारी, मंगलचन्द सैनी

तहसीलदार, राजेन्द्र नेहरा पटवारी, जगदीश प्रसाद गिरदावर के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय के द्वारा स्थगन देने के उपरान्त रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने दिनांक 16.09.2014 को नामान्तकरण संख्या 1055 से बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा सीकर से रहन रखकर ऋण प्राप्त किया जो न्यायालय की अवमानना है इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 में दौराने स्थगन ऋण स्वीकृति बैंक में रहन बाबत गतल दस्तावेज तैयार कर उपलब्ध करवा दिये जो न्यायालय के आदेश की अवमानना है अत आवेदन स्वीकार कर अनावेदकगण को दण्डित किया जावें।

अप्रार्थीगण ने कथन किया कि इस न्यायालय की स्थगन आदेश में रहन रखने व ऋण लेने पर कोई स्थगन नही दिया गया था एवं इस स्थगन आदेश की प्रति अनावेदकगण को नही दी गई थी। इसकी जानकारी अनावेदकगण को रही हो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य आवेदक ने प्रस्तुत नही किया है। अत अवमानना आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। इस न्यायालय की अपील की पत्रावली में अपील मेमों में रेस्पोडेंट के रूप में भगवाना, किशना एवं तहसीलदार सीकर को पक्षकार बनाया गया है। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 03.01.2014 को जारी स्थगन में ऋण लेने अथवा रहन रखने के लिये रेस्पोडेंट के विरूद्व किसी प्रकार का स्थगन नही दिया गया है। आवेदन में संयोजित अनावेदकगण संख्या 3 से 6 अपील में पक्षकार नही है। आवेदक ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है जिससे स्थगन का संज्ञान अनावेदक को होना साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना आवेदन साक्ष्य से साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

31.X.18

(करतार सिंह पूनिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर